

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 57
दिल्ली को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1029.43	...	1029.43	1168.00	...	1168.00	977.01	0.01	977.02	1168.00	0.01	1168.01
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	1029.43	...	1029.43	1168.00	...	1168.00	977.01	0.01	977.02	1168.00	0.01	1168.01
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. 1984 के दंगा पीड़ितों को संबद्धित क्षतिपूर्ति	3.43	...	3.43	2.00	...	2.00	11.00	...	11.00	2.00	...	2.00
2. केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00
3. संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान	75.00	...	75.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
4. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	626.00	...	626.00	626.00	...	626.00	626.00	...	626.00	951.00	...	951.00
5. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र)	200.00	...	200.00	0.01	0.01	0.02	200.00	0.01	200.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	1029.43	...	1029.43	1168.00	...	1168.00	977.01	0.01	977.02	1168.00	0.01	1168.01
कुल जोड़	1029.43	...	1029.43	1168.00	...	1168.00	977.01	0.01	977.02	1168.00	0.01	1168.01
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1029.43	...	1029.43	1168.00	...	1168.00	977.01	...	977.01	1168.00	...	1168.00
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	1029.43	...	1029.43	1168.00	...	1168.00	977.01	0.01	977.02	1168.00	0.01	1168.01
कुल जोड़	1029.43	...	1029.43	1168.00	...	1168.00	977.01	0.01	977.02	1168.00	0.01	1168.01

1. **1984 के दंगा पीड़ितों को संबद्धित क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए संबद्धित क्षतिपूर्ति के लिए है।

2. **केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान:** संघ क्षेत्रों को केन्द्रीय करों और केन्द्रीय सहायता में हिस्से के बदले अनुदान को वीई 2023-24 से संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता में शामिल कर दिया गया है।

3. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान:** ये प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान के मद में अनुदान के लिए हैं।
4. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्कीमों के वित्तपोषण के लिए है।
5. **बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र):** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए है।